उत्तरांचल शासन

आवास एंव शहरी विकास विभाग

संख्या.1683/श0वि0-आ0/2002-258(न0वि)/2002

देहरादून, दिनांक 8 अगस्त, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध मे लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो ;

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 1994, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-86 के अधीन उत्तरांचल मे यथावत् लागू है ;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या-29 सन् 2000) की धारा-87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगा :-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा ।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 में जहां-जहां पर शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां-वहां वह शब्द "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा ।

(पी0के0 महान्ति)

सचिव

In pursuance of provision of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no..[illegible]... dated [illegible]..for general information..

NOTIFICATION

Housing and Urban Development Section-1
No..[illegible]..A/S.V.-2002-..[illegible]..S.V./2002
Dehradun Dated [illegible] November 2002

Whereas, undersection 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation act-2002, The Uttaranchal Government may by order, make such adaption & modification of the law, by way of repeal or amendment as necessary or impedient ;

AND, whereas the Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act, 1973 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh re-organisation Act, 2000.

NOW, therefore in exercise of the powers conferred under section 87 of Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act no.29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act 1973 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :

The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act, 1973), adaption & modification order 2002,

(1) This order may be called the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act, 1973) Adoption and modification order, 2002.
(2) It shall come into force at once.

In the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal".

(P.K. Mohanty)
Secretary

संख्या-1(II) (I) श0वि0/आ-2002-238(न0वि0)/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि : उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय से प्रेपित कि इस अधिसूचना को गजट के 8.11.2002 के अंक में प्रकाशित कर 200 मुद्रित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)

अनुसचिव

संख्या-10(II) (II) श0वि0/आ-2002-238(न0वि0)/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित ।

1. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/हरिद्वार विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार ।
4. सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नैनीताल झील क्षेत्र विशेष परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण/गंगोत्री विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री ।
4. प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून ।
5. समस्त प्रभारी अधिकारी विनियमित क्षेत्र, उत्तरांचल ।
6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)

अनुसचिव